

FORM-1

1.6 (I)

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector-----

No. 1005/26-LAC-2015

Dated- 27/02/2015

DR-
जिलाधिकारी

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 9.54 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department (name of user agency) for Road construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of Main Singh village (s) in Narmadeshwar tehsils.

DR-
जिलाधिकारी

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.275 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 4 annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

DR-
9.54 जिलाधिकारी

Encl: As above.

Signature 27.2.15

(Full name and official seal of the District Collector)
(Chandra Shukher Bhatt)
District collector Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल

1.6 (VI)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

No. 1006/26-LAC-2015

Dated: 27/02/2015

LE-
जिलाधिकारी
मन्दावी

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-998-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA), for short on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 9.54 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department (name of user agency) for Road construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of Jhala Shrasuhatermaga village (s) in Yamkeechan tehsils. It is further certified that,

LE-
9.54hec
जिलाधिकारी
मन्दावी

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.54 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 4 annexure.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and relief measure. If any, having understood the purpose and details of proposed diversion a copy of certificate issued by the gram sabha of 9.54 village(s) is enclosed as annexure 1 to 4 annexure
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when all the Gram Sabha of concerned forest dwellers are present and aware of the project.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, if any, applicable have been satisfactorily safeguarded as per section 3 (3) of the FRA.

Encl: A - 4 nos.

Signature

27.2.15

Officer in Charge and District Collector

जिलाधिकारी
मन्दावी

ANNEXURE.....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT:- PAURI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Mrs. Miss. C. S. Bhatl I.A.S. deputy commissioner, Sarhwal on dated 27-2-15 at time 2:00 PM at Pauri in which application claiming rights in area measuring 9.541 hect for the construction of 9.541 ha. KM. 13.00 Malakto Motor Road to Mala Sirase. Motor Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Samkeshwar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose

Place: PauriDated: 27/02/2015

DRS
जिलाधिकारी
मकुवाल

2
Deputy Commissioner-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
मकुवाल

1.6 (II)

प्रपत्र -232

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनवद पोली (गिवाल) में माला खिराऊ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी 24/02/2015
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, 24/02/2015

उपखण्ड 24/02/2015 परिक्षेत्र के अन्तर्गत माला खिराऊ मोटर मार्ग
आरक्षित वनभूमि 41045 हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि 54960 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 9541
हे० वनभूमि का ग्राम विकास प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड
स्तरीय समिति, (तहसील प्रमोदखेत) की दिनांक 22/11/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं
नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक
में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री जी० पी० सिंह उप जिलाधिकारी
2. श्री ए० पी० सिंह उप प्रभागीय वन अधिकारी
3. श्री जयपाल सिंह पटवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्रीमती उ० पी० सिंह वी० डी० सी० क्षेत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करने के लिए उप जिलाधिकारी की अनुमति से
बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों का अवगत वनभूमि के प्रयोक्ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत सदस्यों के समक्ष रखा गया।
ग्रामसभा के अन्तर्गत वन अधिकारों का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित मान नमा द्वारा सर्व
सहमति से पारित प्रस्ताव का आधार पर तत्कालीन उपयोग हेतु प्रयोक्ता की अनुमति की गई है।

सिद्धि प्रमाण पी० एम० सी० एल० वरि, ओ० ए०
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत सदस्यों के समक्ष रखा गया।
ग्रामसभा के अन्तर्गत वन अधिकारों का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित मान नमा द्वारा सर्व
सहमति से पारित प्रस्ताव का आधार पर तत्कालीन उपयोग हेतु प्रयोक्ता की अनुमति की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत सम्बन्धी नियम 2008 का प्रवर्तन
की स्पष्ट करने हेतु उप जिलाधिकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
एजेन्सी की कार्यवाही का प्रमाण आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित मान नमा द्वारा सर्व
सहमति से पारित प्रस्ताव का आधार पर तत्कालीन उपयोग हेतु प्रयोक्ता की अनुमति की गई है।
की जा सकती है।

जिलाधिकारी
प्रमाण

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड प्रमोदपुर परिसर के लगभग 500 वर्ग मीटर में 150 गोबर गोदों का निर्माण हेतु 4.565 हे० वनभूमि से प्रयोज्य एजेंसी की जनहित शर्तों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / उपखण्ड
उपखण्ड सारीस वन अधिकार समिति
तेहसील मन्नाम
जनपद पाँच गहवाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / उपमुख्य न्यायाधीश
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद

Scanned with CamScanner

FRA
1.6 (I)

प्रपत्र - 23-

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जम्मा-पैदा
(गढ़वाल) में आलाखोरा मोटर गाड़ी का निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम..... आलाखोरा
तहसील..... फकीरगढ़..... जिला..... पौड़ी (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी अधिनियम उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु (..... 4.04.15) से 0 अरबित वन
भूमि 5.446.0 सिल्वर संयम भूमि 2.11.15 हेतु वन पंचायत भूमि 2.11.15 हेतु
अर्थात् कुल 9.54.15 वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक/ संस्था के पक्ष में भारत
सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत, आलाखोरा द्वारा दिनांक 2.11.15 को
.....को सम्पन्न ग्राम समा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित
वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि
वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा
किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों
द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव
पारित किया गया कि ग्राम आलाखोरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई
आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

DR-
जिलाधिकारी
गढ़वाल

1.6 (II)

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 22/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बाला द्वारा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	अमरसिंह	अमरसिंह
(2)	नारायणसिंह	नारायण सिंह
(3)	मदनसिंह	मदनसिंह
(4)	आनन्दसिंह	आनन्द सिंह
(5)	वृंमेश सिंह	वृंमेश सिंह
(6)	होशियार सिंह	होशियार सिंह
(7)	उमेश सिंह	उमेश सिंह
(8)	हरण सिंह	हरण सिंह
(9)	सरदारसिंह	सरदार सिंह
(10)	नन्दमूलनसिंह	नन्दमूलन सिंह
(11)	भारतसिंह	भारत सिंह
(12)	गजवरसिंह	गजवर सिंह
(13)	अनीलसिंह	अनील सिंह
(14)	भगतसिंह	भगत सिंह
(15)	प्रीतसिंह	प्रीत सिंह
(16)	गोपालसिंह	गोपाल सिंह
(17)	प्रकाशसिंह	प्रकाश सिंह

DR
जिलाधिकारी
बलवाली

